



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062024-254665
CG-DL-E-12062024-254665

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2147]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2024/ज्येष्ठ 22, 1946

No. 2147]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2024/JYAISHTHA 22, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2024

का.आ. 2249(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह अपेक्षित है कि कोयला उद्योग में लगी सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 4 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा बनाई जाएं;

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5463(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2023 द्वारा, 28 दिसंबर, 2023 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार छह मास की और अवधि के लिए किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ठ) के उप-खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश जारी करती है, जो इस प्रकार है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लोक उपयोगिता सेवाएं (दसवां आदेश) 2024 है।

(2) यह 28 जून, 2024 से प्रवृत्त होगा।

2. केन्द्रीय सरकार, कोयला उद्योग में लगी हुई सेवाओं को 28 जून, 2024 से छह मास की और अवधि के लिए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/3/2018-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2024

S.O. 2249(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Coal industry, which is covered under item 4 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 28th December, 2023 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 5463 (E), dated the 27th December, 2023;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby issues the following order as follows: -

1. Short title and Commencement. - (1) This order may be called the Public Utility Services (Tenth Order) 2024.

(2) It shall come into force on the 28th day of June, 2024.

2. The Central Government hereby declares the services engaged in the Coal industry, to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from 28th June, 2024.

[F. No. S-11017/ 3 /2018-IR (PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.